संख्या–945/पॉच–5/2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन

सेवा में,

1. समस्त जिला अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 24 अप्रैल, 2020

विषय : कोविड–19: मृत शरीर के प्रबन्धन के संबंध में।

महोदय,

यह संज्ञान में आया है कि श्मशान स्थल अथवा कब्रिस्तान के आस–पास रहने वाले व्यक्ति कोविड–19 के मृतक के शव से संक्रमित होने की सम्भावना से आशंकित हैं। इसके कारण कई स्थानों पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

कोविड–19 प्रमुख रूप से ड्रापलेट संक्रमण से होता है। अतः यदि मृत शरीर को छूते समय आवश्यक सावधानी बरती जाए तो मृत शरीर से स्वास्थ्यकर्मियों या मृतक के परिजनों को कोविड–19 के संक्रमण की कोई सम्भावना नहीं है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएः–

(1) **कोविड–19 मृतक शरीर का रख–रखाव करते समय स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा अपनाई जाने वाली आवश्यक सावधानियॉ–**

- प्रोटोकॉल के अनुसार निर्धारित अन्तराल पर बार–बार हाथ धोना।
- पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्युपमेन्ट जैसे जलरोधी एप्रेन, ग्लब्स, मास्क एवं गागल्स का प्रयोग किया जाना।
- नुकीली सामग्रियों का सुरक्षित एवं सावधानी से प्रयोग करना।
- मृतक शरीर को रखने वाले बैग, मृतक रोगी पर प्रयुक्त उपकरणों एवं औजारों का विसंक्रमण करना।
- बेड शीट आदि का विसंक्रमण करना। वार्ड की सतह की सफाई एवं विसंक्रमण करना।
- चिकित्सालय संक्रमण नियंत्रण समिति (Hospital Infection Control Committee-HICC) के द्वारा आइसोलेशन वार्ड, शवगृह एवं शव–वाहन में मृत शरीर की देखभाल करने वाले सभी कर्मचारियों को चिन्हित कर संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जाना।
- इसी प्रकार से, श्मशान/कब्रिस्तान में काम करने वाले कामगारों को भी चिन्हित कर संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जाना।

(2) आइसोलेशन वार्ड/क्षेत्र से मृत शरीर को स्थानान्तरित करते समय अपनाई जाने वाली सावधानियॉ–

- मृत शरीर की देख–रेख करने वाले स्वास्थ्यकर्मी को हाथ की स्वच्छता सुनिश्चित करना चाहिए तथा पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्युपमेन्ट जैसे जलरोधी एप्रेन, ग्लब्स, मास्क, गागल्स एवं एन–95 मास्क का उचित ढंग से प्रयोग करना चाहिए।
- मृत शरीर पर लगे सभी ट्यूब्स, ड्रेन्स एवं कैथेटर्स को निकाल दिया जाना चाहिए।

- मृत शरीर पर किसी भी प्रकार के छिद्र या घाव को 1 प्रतिशत हाइपोक्लोराइट विलयन से विसंक्रमित किया जाना चाहिए एवं तदोपरान्त, अपरागम्य पदार्थ से ड्रेसिंग किया जाना चाहिए।
- मृतक शरीर से नुकीली वस्तुओं जैसे इन्ट्रावीनस कैथेटर्स आदि निकालने में अत्यन्त सावधानी बरती जानी चाहिए। इन वस्तुओं को निकालने के बाद इन्हें नुकीली वस्तुओं के कन्टेनर में निस्तारित किया जाना चाहिए।
- मृत शरीर से द्रव के निकलने को रोकने के लिए मुख एवं नासा–छिद्र को बंद किया जाना चाहिए।
- यदि मृतक के परिजन मृत शरीर को आइसोलेशन वार्ड से निकालते समय देखना चाहते हैं तब पूर्ण सावधानी अपनाते हुए उन्हे इसकी अनुमति प्रदान की जा सकती है।
- मृत शरीर को लीक–प्रूफ प्लास्टिक बैग में रखा जाना चाहिए। बैग का बाहरी आवरण 1 प्रतिशत हाइपोक्लोराइट विलयन से विसंक्रमित किया जा सकता है। तदोपरान्त, इस बैग को शवगृह अथवा मृतक के परिजनों के द्वारा उपलब्ध कराई गई चादर में लपेटा जा सकता है।
- आइसोलेशन वार्ड से मृतक शरीर को निकालने के बाद इसको मृतक के परिजनों को सौंप दिया जाना चाहिए अथवा शवगृह में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।
- सभी प्रयुक्त लीनेन को आवश्यक सावधानी अपनाते हुए बायो–हजार्ड बैग में रखना चाहिए तथा इस बायो–हजार्ड बैग के बाहरी आवरण को 1 प्रतिशत हाइपोक्लोराइट विलयन से विसंक्रमित किया जाना चाहिए।
- संक्रमण रोकथाम नियंत्रण प्रैक्टिस के अनुसार सभी प्रयुक्त उपकरणों को आटोक्लेव या विसंक्रामक विलयन से विसंक्रमित किया जाना चाहिए।
- सभी चिकित्सीय अपशिष्टों का रख–रखाव एवं निस्तारण बायो–मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स के अनुसार किया जाना चाहिए।
- मृत शरीर का रख–रखाव करने वाले स्वास्थ्यकर्मी पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्युपमेन्ट को निकालने के बाद हाथ को प्रोटोकॉल के अनुसार धोएंगे।
- मृत शरीर का रख–रखाव करने वाले स्वास्थ्यकर्मी को मृतक के परिजनों को सान्त्वना देनी चाहिए तथा उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।

(3) पर्यावरणीय स्वच्छता एवं विसंक्रमण–

- आइसोलेशन वार्ड/क्षेत्र की सभी सतहों जैसे फर्श, बेड्स, रेलिंग, साइड–टेबल, आई0वी0 स्टैण्ड आदि को 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट विलयन से पोछा जाना चाहिए तथा 30 मिनट का सम्पर्क–समय पूर्ण होने के पश्चात हवा में सुखाना चाहिए।

(4) शव–गृह में मृत शरीर का रख–रखाव–

- कोविड–19 मृतक शरीर का रख–रखाव करने वाले शवगृह में तैनात कर्मियों को प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक सावधानियॉ अपनानी चाहिए।
- मृत शरीर को लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कोल्ड चैम्बर में रखा जाना चाहिए।
- शव–गृह को सदैव स्वच्छ रखना चाहिए तथा शव–गृह की विभिन्न सतहों, उपकरणों एवं परिवहन ट्राली को अच्छी प्रकार से 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट विलयन से विसंक्रमित किया जाना चाहिए।
- मृत शरीर को शव–गृह से निकालने के बाद चैम्बर का दरवाजा, हैण्डल्स तथा फर्श को 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट विलयन से विसंक्रमित किया जाना चाहिए।

(5) शव–लेपन–

- कोविड–19 मृतक शव पर किसी भी प्रकार के शवलेपन की अनुमति नहीं है।

(6) कोविड–19 मृतक के शव–विच्छेदन के समय आवश्यक सावधानियॉ–

- कोविड–19 मृतक के शव–विच्छेदन से बचा जाना चाहिए। यदि विशेष परिस्थिति में शव–विच्छेदन करना अनिवार्य है तब निम्नलिखित संक्रमण रोकथाम नियंत्रण प्रैक्टिस का प्रयोग किया जाना चाहिए–
  - शव–विच्छेदन टीम संक्रमण रोकथाम नियंत्रण प्रैक्टिस में प्रशिक्षित होनी चाहिए।
  - शव–विच्छेदन कक्ष में फोरेन्सिक विशेषज्ञ एवं सहायक स्टाफ की संख्या सीमित होनी चाहिए।
  - शव–विच्छेदन टीम को पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्युपमेन्ट के पूर्ण अवयवों जैसे कवरऑल, हेड–कवर, शू–कवर, एन–95 मास्क, गागल्स/फेस शील्ड का प्रयोग करना चाहिए।
  - शव–विच्छेदन टीम को गोल सिरे वाली कैंची का प्रयोग करना चाहिए।
  - प्रिक इन्जरी की सम्भावनाओं को न्यून करने के लिए शव–विच्छेदन टीम को पी0एम0 40 अथवा अन्य हैवी ड्यूटी ब्लेड्स का प्रयोग करना चाहिए।
  - एक बार में केवल एक बॉडी कैविटी का विच्छेदन किया जाना चाहिए।
  - खुले अंगों को मेज पर मजबूती से कसा जाना चाहिए तथा हाथ को बचाते हुए इन अंगों को विच्छेदित किया जाना चाहिए।
  - शव–गृह में ऋणात्मक दाब बनाए रखना चाहिए।
  - फ्लूड सैम्पलिंग के बाद सूइयों को पुनः लपेटना नहीं चाहिए बल्कि सूइयों एवं सिरिन्जों को शार्प बकेट में रखा जाना चाहिए।
  - फेफड़े के ऊतकों का विच्छेदन करते समय एरोसॉल उत्पन्न होने की सम्भावनाओं को न्यून करने के लिए विशेष सावधानी एवं उचित तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए।
  - कोविड–19 मृतक के शव–विच्छेदन के पश्चात् मृत शरीर को 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट विलयन से विसंक्रमित कर एक बॉडी बैग में रखना चाहिए। बॉडी बैग का बाहरी आवरण पुनः 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट विलयन से विसंक्रमित किया जाना चाहिए।
  - शव–विच्छेदन हेतु प्रयुक्त मेज को आवश्यक सावधानी के साथ विसंक्रमित किया जाना चाहिए।
  - इसके पश्चात मृत शरीर को मृतक के परिजनों को सौंपा जा सकता है।

(7) मृत शरीर का परिवहन–

- व्यक्ति की मृत्यु अपने गृह जनपद में होने की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा शव वाहन उपलब्ध कराते हुये जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की देख–रेख में भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार अन्तिम संस्कार कराया जायेगा।
- व्यक्ति की मृत्यु अन्य जनपद में होने की स्थिति में:–
  - परिवारीजनों की मृत्यु वाले जनपद में अन्तिम संस्कार कराने के अनुरोध पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा शव वाहन उपलब्ध कराते हुये प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित अधिकारी की देख–रेख में भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार मृत्यु वाले जनपद में ही अन्तिम संस्कार कराया जायेगा।
  - परिवारीजनों द्वारा अपने गृह जनपद में अन्तिम संस्कार कराने के अनुरोध पर मृत्यु वाले जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा शव वाहन उपलब्ध कराया जायेगा तथा मृत्यु वाले जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की अभिरक्षा में मृतक के गृह जनपद ले जाया जायेगा तथा गृह जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की देख–रेख में परिवारीजनों को सुपुर्द किया जाएगा। गृह जनपद के प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित अधिकारी की देख–रेख में

भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार अन्तिम संस्कार कराया जायेगा।

- विसंक्रमित बाहरी आवरण वाले बॉडी बैग में संरक्षित मृत शरीर से परिवहन करने वाले कर्मचारियों को संक्रमण का कोई अतिरिक्त खतरा नही है।
- मृत शरीर का परिवहन करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक सावधानियॉ जैसे सर्जिकल मास्क, ग्लब्स पहनने का अनुसरण करना चाहिए।
- श्मशान/कब्रिस्तान के कामगारों को मृत शरीर सौपने के उपरान्त शव–वाहन को 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट विलयन से विसंक्रमित किया जाना चाहिए।

(8) श्मशान/कब्रिस्तान में अपनाई जाने वाली सावधानियॉ–

- श्मशान/कब्रिस्तान के कामगारों को कोविड–19 के विषय में संवेदित किया जाना चाहिए।
- श्मशान/कब्रिस्तान के कामगारों को हाथ की सफाई, मास्क एवं ग्लब्स के प्रयोग की आवश्यक सावधानी अपनानी चाहिए।
- चेहरे वाले भाग की जिप को आवश्यक सावधानी अपनाते हुए खोल कर मृतक के अंतिम दर्शन की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
- धार्मिक रीति–रिवाजों जैसे धार्मिक पुस्तकों का वाचन, पवित्र जल का छिड़काव और अन्य अंतिम संस्कारों की अनुमति प्रदान की जा सकती है जिसमें मृत शरीर को छूना आवश्यक नहीं है।
- मृत शरीर को नहलाना, चुम्बन और आलिंगन आदि की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।
- अंतिम संस्कार के उपरान्त श्मशान/कब्रिस्तान के कामगारों एवं परिजनों को हाथ को अच्छी प्रकार से धोना चाहिए।
- दाह संस्कार के पश्चात राख से संक्रमण का कोई खतरा नहीं होता है अतः आवश्यक संस्कार करंने के लिए राख को इकटठा किया जा सकता है।
- सोशल डिस्टेसिंग के लिए श्मशान/कब्रिस्तान में अत्यंत सीमित संख्या में लोगों को जाने की अनुमति देनी चाहिए क्योंकि संभव है कि मृतक के नजदीकी संपर्क ग्रसित हों और/या विषाणु फैला रहे हों।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नकः भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश।

भवदीय,

24.4.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या–945 (1)/पांच–5–2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, संचारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।

आज्ञा से,

24/04/2020

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

Pankaj/GO/COME-3